तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	
	निगरानी/टी.ए./6326/2002/गंगानगर **इन्द्राज बनाम सुलतान व अन्य**	

Board of Revenue For Rajasthan Ajmer
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

एकल–पीठ
श्री धूकलराम कसवॉ, सदस्य

उपस्थितः–
(1) श्री यज्ञ दत शर्मा अभिभाषक प्रार्थी
(2) श्री पवन सिंह अभिभाषक अप्रार्थी

निर्णय दिनांक :

यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 230 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ के आदेश दिनांक 17–8–02 के विरूद्व प्रस्तुत की गई हैं।

2– आक्षेपित आदेश के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय ने विपक्षीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर दस्तावेजों को रेकार्ड पर लेने के आदेश पारित किये हैं।

3– उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस निगरानी पर सुनी गई।

4– प्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने निगरानी मीमो में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि जाब्ता दीवानी के संशोधित प्रावधानों के अनुसार आदेश 13 नियम 2 जाब्ता दीवानी के प्रावधान हटा दिये गये हैं। इसलिये अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने में विधिक भूल की है। इसके अतिरिक्त प्रार्थना पत्र के साथ शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है जो कि रेवून्यू कोर्ट मेन्युअल के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक है। उनका तर्क है कि विपक्षी द्वारा जमाबन्दी सम्बत 2016 से 2019 की नकल दिनांक 14–2–2001 को ही प्राप्त कर ली थी जो जबाब दावे के साथ प्रस्तुत करनी चाहिये थी लेकिन जानबूझ कर प्रकरण को देरीना करने के उद्येश्य से जबाब दावे के साथ पेश नहीं की है। इसलिये निगरानी स्वीकार की जाकर आक्षेपित आदेश निरस्त किया जावे।

5– जबाब में अप्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में आक्षेपित आदेश को विधिसम्मत बताते हुये निगरानी खारिज करने का निवेदन किया।

6– हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

7– पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अप्रार्थी की साक्ष्य वाद में होनी बाकी है। उक्त दस्तावेज राजस्व रेकार्ड की प्रमाणित प्रति है जिसको प्रस्तुत करने से प्रार्थी के हितों पर कोई विपरीत प्रभाव भी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी/टी.ए./6326/2002/गंगानगर</u>** **इन्द्राज बनाम सुलतान व अन्य**	

नहीं पडता है और उक्त दस्तावेज निर्णय पारित करने में सहायक दस्तावेज हो सकता है। इसलिये अधीनस्थ न्यायालय ने दस्तावेज प्रस्तुत करने के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 13 नियम 2 जाब्ता दीवानी को स्वीकार करने में कोई विधिक भूल नहीं की है। निगरानी में कोई सार नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है।

8– उपरोक्त विवेचन के अनुसरण में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाती है। प्रकरण विचारण न्यायालय के समक्ष वर्ष 2002 से लम्बित है। इसलिये विचारण न्यायालय के पीठासीन अधिकारी को आदेशित किया जाता है कि वह प्रकरण में दिन प्रतिदिन की तारीख पेशी नियत कर प्रकरण का अधिकतम तीन माह के अन्दर विधि अनुसार निस्तारण करें।

उभय पक्षकारान को विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 17–4–2018 को उपस्थित रहने के लिये जरिये अभिभाषक पाबन्द किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(धूकलराम कसवाँ)
सदस्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी/टी.ए./6326/2002/गंगानगर</u>** **इन्द्राज बनाम सुलतान व अन्य**	